न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 183/2024

गुरप्रीत सिंह बनाम नक्षत्र सिंह आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

(दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए आरटीए)

--आदेश-- दिनांक :30.04.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मुझ प्रतिवादी द्वारा स्वंय की कमाई से 1959 से 2003 तक भिन्न-भिन्न तारीखों पर जरिये इकरारनामाजात से कुल 104 बीघा भूमि खरीद की। जिसमें से कुछ भूमि हमने अपने नाम बैयनामा करवाकर तथा कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के नाम से बैयनामें पंजीकृत करवाकर नाम करवाई। जबकि इस तमाम भूमि की कीमत मझ प्रतिवादी द्वारा अदा की गई है। फिर भी मानवता के नाते मुझ प्रतिवादी के कुल 104 बीघा भूमि का अपने दो पुत्रों प्रतिवादी संख्या 3 सुरजीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 5 बलविन्द्र सिंह के मध्य वाहमी बंटवारा करके वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 3 सुरजीत सिंह को 35 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 5 बलविन्द्र सिंह को 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि विभाजन करके दे दी है। शेष बची 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि मुझ प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति है। वादी के पिता को 1/3 हिस्सा भूमि दी जा चुकी है, तो ऐसी सुरत मे मुझ प्रतिवादी के नाम बची भूमि में वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादी अपने पिता के नाम दर्ज 35 बीघा भूमि में से ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। दावा कानून द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश करके अर्ज है कि दावा इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कि नकल अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता को दिलायी गई अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार जो भूमि नक्षत्र सिंह स्वंय द्वारा अर्जित करना बताता है, वह भूमि हमारे संयुक्त खानदान की अर्जितशुदा सम्पति की आय से अर्जित की गई है। हिन्दू विधि के मुताबिक संयुक्त सम्पतियों की आय से अर्जित की गई भूमि भी पैतृक सम्पति की तारीफ में आती है। जो भूमि पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता से प्राप्त होती है। वह पैतृक सम्पति है। इसलिए वादगत भूमि में वादी का हक एंव हिस्सा शुरू से बनता है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में वादगत भूमि नक्षत्र सिंह की स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें से वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। दावा विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि प्रतिवादी नक्षत्र सिंह की स्वअर्जित सम्पति नहीं है। वादगत भूमि हमारे संयुक्त खानदान की अर्जितशुदा सम्पति की आय से अर्जित की गई है। हिन्दू विधि के मुताबिक संयुक्त सम्पतियों की आय से अर्जित की गई भूमि भी पैतृक सम्पति की तारीफ में आती है। सम्पति जद्दी जायदाद होने के कारण वादी अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। वादी का दावा किसी भी रूप में विधि द्वारा वर्जित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। लिहाजा वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है या नहीं, इसके लिए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत ईकरारनामाजात से स्पष्ट है कि वादगत भूमि प्रतिवादी नक्षत्र सिंह की स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें से वादी गुरप्रीत सिंह अपने दादा नक्षत्र सिंह के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आरटीए खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम आर.ए.एस.

गुरप्रीत सिंह बनाम नक्षत्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88, 188, 92ए आरटीए** मुकदमा नम्बर **183/2024**

निर्णय दिनांक :- 30.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड एवं प्रतिवादी अधिवक्ता रमेश चन्द गुप्ता** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आरटीए प्रतिवादी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किए जाने पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 30.04.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर